न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 65 / 2025

राजस्थान सरकार जरिये डॉ0 श्रीपाल चौधरी, कृषि अधिकारी एवं उर्वरक निरीक्षक, अजमेर
...........प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स श्रीनाथ एग्रो इन्डस्ट्रीज खसरा नं0 1163 / 93, ग्राम टिकावडा, तहसील किशनगढ जिला अजमेर
2. श्री अशोक कुमार मालू पुत्र श्री गोपाल मालू 34 महेश नगर, अजमेर रोड, मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर 305801 (राजस्थान)

..........अप्रार्थी

उपस्थित :—

1. डॉ. श्रीपाल चौधरी कृषि अधिकारी उद्यान एवं उर्वरक निरीक्षक
पैरोकार सरकार
2. श्री अशोक कुमार मालू प्रोपराईटर अप्रार्थी सं. 01 व 02

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 28 (1) डी के तहत जब्तशुदा उर्वरक को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात करने बाबत्।

आदेश

दिनांक— 06.04.2026

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र तथ्य इस प्रकार से है कि उर्वरक (नियन्त्रण) आदेश 1985 के क्लॉज 28 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ0 श्रीपाल चौधरी कृषि अधिकारी उद्यान एवं उर्वरक निरीक्षक, अजमेर से संयुक्त निदेशक कृषि (वि0) जिला परिषद अजमेर के पत्रांक गु.नि / 2025 / 1056 / 78 दिनांक 30.05.2025 के निर्देशानुसार दिनांक 01.06.2025 एवं 04.06.2025 को निरीक्षण एवं जॉच करने हेतु श्री शिवलाल यादव, सहायक निदेशक उद्यान अजमेर, श्री गणपत कृषि पर्यवेक्षक टिकावड़ा के साथ ग्राम टिकावड़ा, तहसील किशनगढ जिला अजमेर को लगभग अपरान्ह 3.20 पर पहुँचे तथा फर्म मैसर्स श्रीनाथ एग्रो इन्डस्ट्रीज खसरा नं0 1163 / 93, ग्राम टिकावड़ा, तहसील किशनगढ जिला अजमेर को विनिर्माण इकाई / गोदाम का निरीक्षण किया। मौके पर उक्त फर्म के प्रतिनिधी के तोर पर फर्म प्रतिनिधी श्री अशोक कुमार निवासी 34, महेश नगर, मदनगंज किशनगढ एवं श्री ज्ञानाराम पुत्र श्री सूजाराम जाति जाट निवासी टिकावड़ा गवाह के तौर पर उपस्थित पाये गये। मैसर्स श्री नाथ एग्रो इन्डस्ट्रीज खसरा नम्बर 1163 / 93 ग्राम टिकावडा, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर, राजस्थान 305801 के विक्रय एवं भण्डारण परिसर से मौके उपलब्ध उर्वरक स्टॉक को दिनांक 01.06.2025 एवं 04.06.2025 को उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लॉज 19 एवं 35 का उल्लंघन पाये जाने पर उर्वरक नियंत्रण

जिला कलक्टर
अजमेर

आदेश 1985 के क्लॉज 28 (1)(डी) के तहत उर्वरक जब्ती की कार्यवाही कर उक्त जब्तशुदा उर्वरक Phosphate Rich Organic Manure (PROM) 7400 किलोग्राम, Potash Derived From Molasses 8000 किलोग्राम Suspacted Dap Granular Black 606200 किलोग्राम Suspacted Dap Granular Brown 112000 किलोग्राम एवं Suspacted ssp Granular white 2100 किलोग्राम बैग को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 के तहत राजसात करने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया गया हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित आये। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। सुनवाई चाहने पर उभय पक्ष को सुना गया।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 01.06.2025 एवं 04.06.2025 को निरीक्षण एवं जॉच करने हेतु श्री शिवलाल यादव, सहायक निदेशक उद्यान अजमेर, श्री गणपत कृषि पर्यवेक्षक टिकावड़ा के साथ ग्राम टिकावड़ा, तहसील किशनगढ जिला अजमेर को लगभग अपरान्ह 3.20 पर पहुँचे तथा फर्म मैसर्स श्रीनाथ एग्रो इन्डस्ट्रीज खसरा नं0 1163/93, ग्राम टिकावड़ा, तहसील किशनगढ जिला अजमेर को विनिर्माण इकाई/गोदाम का निरीक्षण किया। मौके पर उक्त फर्म के प्रतिनिधी के तोर पर फर्म प्रतिनिधी श्री अशोक कुमार निवासी 34, महेश नगर, मदनगंज किशनगढ एवं श्री ज्ञानाराम पुत्र श्री सूजाराम जाति जाट निवासी टिकावड़ा गवाह के तौर पर उपस्थित पाये गये। अप्रार्थी श्री अशोक कुमार मालू पुत्र श्री गोपाल मालू, 34 महेश नगर, अजमेर रोड, मउदनगंज किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान 305801 एवं जिम्मेदार व्यक्ति मैसर्स श्री नाथ एग्रो इन्डस्ट्रीज खसरा नम्बर 1163/93, ग्राम टिकावडा, तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान 305801 अधिसूचित प्राधिकारी एवं संयुक्त निदेशक कृषि (इन्पुट) कृषि आयुक्तालय जयपुर द्वारा जारी उर्वरक वितरण, विक्रय एवं भण्डारण प्राधिकार पत्र संख्या एसपीएफ/2023–24/3398 दिनांक 18.12.2023 और वैधता दिनांक 11.12.2028 द्वारा उर्वरको के वितरण, विक्रय एवं भण्डारण के लिए अधिकृत है। श्री पाल चौधरी, कृषि अधिकारी उद्यान एवं उर्वरक निरीक्षक अजमेर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लॉज 28 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उर्वरक निरीक्षक की हैसियत से दिनांक 01.06.2025 एवं 04.06.2025 को मैसर्स श्री नाथ एग्रो इन्डस्ट्रीज खसरा नं0 1163/93 ग्राम टिकावड़ा तहसील किशनगढ जिला अजमेर, राजस्थान 305801 के विक्रय एवं भण्डारण परिसर से उर्वरक के नमूनों का आहरण उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 के तहत नियमानुसार किया गया। उक्त नमुनों को अधिसूचित उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, दुर्गापुरा जयपुर को भिजवाया गया जिनको प्रयोगशाला द्वारा विश्लेषण उपरान्त अमानक व मानक घोषित किया गया। जिनका विवरण निम्नानुसार है।

क्र0सं0	नाम उर्वरक	बैच नं0	उपलब्ध स्टॉक (बैग)	नमूना कोड	विश्लेषण परिणाम
1	Phosphate Rich Organic Manure	SPM0124	148	SPF/2025-26/01	अमानक

जिला कलक्टर
अजमेर

	(Prom)				
2	Potash Derived From Molasses (PDM)	अंकित नहीं	160	SPF/2025-26/02	मानक
3	Suspacted DAP Granular Black	अंकित नहीं	12124	SPF/2025-26/03	अमानक
4	Suspacted DAP Granular Brown	अंकित नहीं	2240	SPF/2025-26/04	अमानक
5	Suspacted SSP Granular White	अंकित नहीं	42	SPF/2025-26/05	अमानक

श्री पाल चौधरी, कृषि अधिकारी उद्यान एवं उर्वरक निरीक्षक अजमेर, द्वारा मैसर्स श्री नार्थ एग्रो इन्डस्ट्रीज खसरा नम्बर 1163/93 ग्राम टिकावडा, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर, राजस्थान 305801 के विक्रय एवं भण्डारण परिसर से मौके उपलब्ध उर्वरक स्टॉक को दिनांक 01.06.2025 एवं 04.06.2025 को उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लॉज 19 एवं 35 का उल्लंघन पाये जाने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लॉज 28 (1)(डी) के तहत उर्वरक जब्ती की कार्यवाही कर मौके पर उपस्थित फर्म के प्रतिनिधी श्री अखिलेश पुत्र श्री अशोक कुमार निवासी 34, महेश नगर, मदनगंज किशनगढ को सुपुर्द कर, उपलब्ध उर्वरक स्टॉक को खुर्द–बुर्द नहीं करने की हिदायत दी गई तथा शपथ पत्र एव अन्य दस्तावेज तैयार किये गये। जब्त किये उर्वरको का विवरण निम्नानुसार है ।

क्र0सं0	नाम उर्वरक	बैच नं0	उपलब्ध स्टॉक (बैग)	उर्वरक स्थिति
1	Phosphate Rich Organic Manure (Prom)	SPM0124	148	दानेदार
2	Potash Derived From Molasses (PDM)	अंकित नहीं	160	दानेदार
3	Suspacted DAP Granular Black	अंकित नहीं	12124	दानेदार
4	Suspacted DAP Granular Brown	अंकित नहीं	2240	दानेदार
5	Suspacted SSP Granular White	अंकित नहीं	42	दानेदार

उर्वरक जब्ती के उपरान्त उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लॉज 28 (3) के तहत जब्ती की कार्यवाही की सूचना कार्यालय पत्रांक 641–45 दिनांक 05.06.2025 द्वारा श्रीमान् को प्रस्तुत की गई थी। मैसर्स श्री नाथ एग्रो इन्डस्ट्रीज खसरा नम्बर 1163/93 ग्राम टिकावडा, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर, राजस्थान को उर्वरक नियंत्रण के आदेश 1985 के खण्ड 8, 19 (सी) 5 एवं 35 का उल्लघंन मानते हुए अधिसूचित प्राधिकारी एवं सयुक्त निदेशक कृषि (इन्पुट), कृषि आयुक्तालय, जयपुर द्वारा एफसीओ के खण्ड 31 (2) में वर्णित शक्तियो का प्रयोग करते हुये पत्रांक 5585–5641 दिनांक 08.07.2025 के द्वारा फर्म के वितरण एवं भण्डारण (Wholesale Of Fertilizer) प्राधिकार पत्र संख्या

जिला कलक्टर
अजमेर

एसपीएफ/2023–24/3398 को निरस्त कर उलब्ध स्टॉक को निस्तारण करने के आदेश सयुक्त निदेशक कृषि (वि) जिला परिषद अजमेर के पत्रांक गुनि/2025/3014–19 दिनांक 18.7.2025 को प्रदान किये गए है। उक्त फर्म द्वारा दिनांक 01.06.2025 एवं 04.06.2025 को उनके विक्रय एवं भण्डारण (Wholesale Of Fertilizer) परिसर में श्रीपाल चौधरी, कृषि अधिकारी उद्यान एवं उर्वरक निरीक्षक अजमेर द्वारा की गई जब्ती की कार्यवाही एवं कृषि आयुक्तालय जयपुर द्वारा प्राधिकार पत्र निरस्त की काय्रवाही के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में SB Civil Writ Petition No 11854/2025 एवं SB Criminal Misc. Petition No 4478/2025 (मैसर्स श्री नाथ एग्रो इन्डस्ट्रीज बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य) दायर की गई है। अमानक उर्वरक निर्माण उर्वरक नियंत्रण के आदेश 1985 के क्लॉज 19 एवं 35 का स्पष्ट उल्लंघन है एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। यदि उक्त जब्त शुदा उर्वरक मैसर्स श्री नाथ इन्डस्ट्रीज खसरा नं0 1163/93 ग्राम टिकावडा, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर, राजस्थान के विक्रय एवं भण्डारण परिसर में काफी समय तक रहता है तो उर्वरक के खुर्द–बुर्द करने एवं खराब होने की संभावना होगी अतः उक्त जब्तशुदा उर्वरक Phosphate Rich Organic Manure (PROM) 7400 किलोग्राम, Potash Derived From Molasses 8000 किलोग्राम Suspacted Dap Granular Black 606200 किलोग्राम Suspacted Dap Granular Brown 112000 किलोग्राम एवं Suspacted ssp Granular white 2100 किलोग्राम बैग को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 के तहत राजसात कर नियमनुसार निस्तारित कर प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराने का आदेश प्रदान करावे।

अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला दुर्गापुरा जयपुर की रिपोर्ट दिनांक 20.06.2025 एवं 25.06.2025 उक्त जब्तशुदा माल क्रमांक 03,04,05 सस्पेक्टिड़ डी.ए.पी. एवं सस्पेक्टिड़ एस.एस.पी. के आधार पर जब्त किया गया हैं परन्तु राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला दुर्गापुरा की रिपोर्ट के द्वारा भी डी0ए0पी0 नहीं होना पाया गया हैं। क्रमांक 02 पर जब्त सामग्री प्रयोगशाला की रिपोर्ट अनुसार मानक पाई गई हैं। यह कि मुझ अप्रार्थी फर्म का कभी भी कृषको से धोखाधड़ी का उद्देश्य नहीं रहा बल्कि सदैव कृषको की मदद ही रहा हैं। राजकीय प्रयोगशाला की रिपोर्ट के निष्कर्ष तकनीकी आधार पर भिन्न हो सकते हैं। प्रार्थी ने हमेशा गुणवक्तापूर्ण सामग्री के वितरण का प्रयास किया हैं। यह कि उक्त माल समय की प्रकृति से क्षति एवं वर्षा जनित पानी के कारण नष्ट हो चुका है और काम में लेने योग्य नहीं रहा हैं। अतः जब्तशुदा माल माननीय न्यायालय द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत जब्त करना उचित समझे तो मुझ अप्रार्थी फर्म को कोई आपत्ति नहीं हैं। ताकि मूल 6ए प्रकरण का निस्तारण हो सकें। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि उक्त प्रकरण को निस्तारण कर प्रार्थी की फर्म को अनसीज करने के आदेश फरमावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया रेकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 01.06.2025 एवं 04.06.2025 को निरीक्षण एवं जॉच करने हेतु श्री शिवलाल यादव, सहायक निदेशक उद्यान अजमेर, श्री गणपत कृषि पर्यवेक्षक टिकावड़ा के साथ ग्राम टिकावड़ा, तहसील किशनगढ जिला अजमेर को लगभग अपरान्ह

जिला कलक्टर
अजमेर

3.20 पर पहुँचे तथा फर्म मैसर्स श्रीनाथ एग्रो इन्डस्ट्रीज खसरा नं0 1163/93, ग्राम टिकावड़ा, तहसील किशनगढ जिला अजमेर को विनिर्माण इकाई/गोदाम का निरीक्षण किया। मौके पर उक्त फर्म के प्रतिनिधी के तोर पर फर्म प्रतिनिधी श्री अशोक कुमार निवासी 34, महेश नगर, मदनगंज किशनगढ एवं श्री ज्ञानाराम पुत्र श्री सूजाराम जाति जाट निवासी टिकावड़ा गवाह के तौर पर उपस्थित पाये गये। अप्रार्थी श्री अशोक कुमार मालू पुत्र श्री गोपाल मालू, 34 महेश नगर, अजमेर रोड, मउदनगंज किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान 305801 एवं जिम्मेदार व्यक्ति मैसर्स श्री नाथ एग्रो इन्डस्ट्रीज खसरा नम्बर 1163/93, ग्राम टिकावडा, तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान 305801 अधिसूचित प्राधिकारी एवं संयुक्त निदेशक कृषि (इन्पुट) कृषि आयुक्तालय जयपुर द्वारा जारी उर्वरक वितरण, विक्रय एवं भण्डारण प्राधिकार पत्र संख्या एसपीएफ/2023–24/3398 दिनांक 18.12.2023 और वैधता दिनांक 11.12.2028 द्वारा उर्वरको के वितरण, विक्रय एवं भण्डारण के लिए अधिकृत है। श्री पाल चौधरी, कृषि अधिकारी उद्यान एवं उर्वरक निरीक्षक अजमेर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लॉज 28 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उर्वरक निरीक्षक की हैसियत से दिनांक 01.06.2025 एवं 04.06.2025 को मैसर्स श्री नाथ एग्रो इन्डस्ट्रीज खसरा नं0 1163/93 ग्राम टिकावड़ा तहसील किशनगढ जिला अजमेर, राजस्थान 305801 के विक्रय एवं भण्डारण परिसर से उर्वरक के नमूनों का आहरण उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 के तहत नियमानुसार किया गया। उक्त नमुनों को अधिसूचित उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, दुर्गापुरा जयपुर को भिजवाया गया जिनको प्रयोगशाला द्वारा विश्लेषण उपरान्त अमानक व मानक घोषित किया गया। मैसर्स श्री नाथ एग्रो इन्डस्ट्रीज खसरा नम्बर 1163/93 ग्राम टिकावडा, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर, राजस्थान को उर्वरक नियंत्रण के आदेश 1985 के खण्ड 8, 19 (सी) 5 एवं 35 का उल्लघंन मानते हुए अधिसूचित प्राधिकारी एवं सयुक्त निदेशक कृषि (इन्पुट), कृषि आयुक्तालय, जयपुर द्वारा एफसीओ के खण्ड 31 (2) में वर्णित शक्तियो का प्रयोग करते हुये पत्रांक 5585–5641 दिनांक 08.07.2025 के द्वारा फर्म के वितरण एवं भण्डारण (Wholesale Of Fertilizer) प्राधिकार पत्र संख्या एसपीएफ/2023–24/3398 को निरस्त कर उलब्ध स्टॉक को निस्तारण करने के आदेश सयुक्त निदेशक कृषि (वि) जिला परिषद अजमेर के पत्रांक गुनि/2025/3014–19 दिनांक 18.7.2025 को प्रदान किये गए है। अमानक उर्वरक निर्माण उर्वरक नियंत्रण के आदेश 1985 के क्लॉज 19 एवं 35 का स्पष्ट उल्लंघन है एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। यदि उक्त जब्त शुदा उर्वरक मैसर्स श्री नाथ इन्डस्ट्रीज खसरा नं0 1163/93 ग्राम टिकावडा, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर, राजस्थाान के विक्रय एवं भण्डारण परिसर में काफी समय तक रहता है तो उर्वरक के खुर्द–बुर्द करने एवं खराब होने की संभावना होगी। साथ ही अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब/बहस में भी जब्तशुदा उर्वरक को राजसात करने का कथन किया गया हैं। अतः उक्त जब्तशुदा उर्वरक Phosphate Rich Organic Manure (PROM) 7400 किलोग्राम, Potash Derived From Molasses 8000 किलोग्राम Suspacted Dap Granular Black 606200 किलोग्राम Suspacted Dap Granular Brown 112000 किलोग्राम एवं Suspacted SSP Granular white 2100 किलोग्राम बैग को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 के

जिला कलक्टर
अजमेर

तहत राजसात किया जाता है। उपनिदेशक उद्यान, अजमेर उक्त जब्तशुदा उर्वरक का नियमानुसार निस्तारण करावें। आदेश की प्रति पालनार्थ प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 06.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर

न्यायालय जिला कलक्टर * अजमेर *